Agenda No-1 (Details)

Phone : 0141-2795529
0141-2795542
Fax No.: 0141-2795550

website - www.ruhsraj.org
Email: ruhsacademic@yahoo.in

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033(Raj.)

यू.ओ.नोट

प्रबन्ध मण्डल के लिए एजेण्डा

विषयः— **निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त चिकित्सा अधिकारी के 2000 पदों पर सीर्धी भर्ती की कार्यवाही के संबंध में निवेदन।**

(सन्दर्भ—निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक राजपत्रित / एटी / प0 / 2020 / 179 दिनांक 20.05.2020*)*

निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक राजपत्रित / एटी / प0 / 2020 / 179 दिनांक 20.05.2020 द्वारा चिकित्सा अधिकारी के 2000 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु अर्थना विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है।

उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न अर्थना में अंकित शर्तोनुसार चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति विश्वविद्यालय स्तर से जारी कर शीघ्र सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए योग्य / चयनित अभ्यर्थियों की सूची वरीयतानुसार जल्द से जल्द निदेशालय को भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त भर्ती (चिकित्सा अधिकारी—2000 पद) के संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भर्तियां राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से पूर्व की भांती ही भर्ती की कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू की जानी है।

अतः उपरोक्त प्राप्त पत्र के क्रम में निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त अर्थना के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के 2000 पदों पर सीर्धी भर्ती की कार्यवाही के संबंध में चर्चा एवं अग्रिम निर्णय हेतु प्रस्तावें प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(डॉ. बलवीर सिंह राठौड़)
उपकुलसचिव

क्रमांक एफ—11( ) / प्रवेश परीक्षा अनुभाग / राज.स्वा.वि.वि. / 2020 / 152 दिनांकः 20/ 05 / 2020

सहायक कुलसचिव,
शैक्षणिक अनुभाग—द्वितीय, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प0 /2020/ 179 दिनांक : 20/05/2020

रजिस्ट्रार,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
सेक्टर–18, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर,
जयपुर (राजस्थान)।

विषय : चिकित्सा अधिकारी के नव सृजित (Vacany Based) 2000 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने के क्रम में।

—— : : —— : : ——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात निर्देशानुसार चिकित्सा अधिकारी के नव सृजित (Vacany Based) 2000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने हेतु अर्थना संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः अर्थना में अंकित शर्तोनुसार चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति अपने स्तर से जारी कर शीघ्र भर्ती की कार्यवाही कराते हुए योग्य/चयनित अभ्यार्थियों की सूची एवं नियमानुसार 50 प्रतिशत की वर्गवार प्रतीक्षा सूची पृथक–पृथक वरीयतानुसार तैयार कर साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में अविलम्ब उपलब्ध करवाने का श्रम करावें, ताकि नियमानुसार नियुक्तियां प्रदान की जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

DR/02(EW)
20/5/2020

(डॉ0 के0के0 शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प0 /2020/ 179 दिनांक : 20/05/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजि/रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 के0के0 शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार–कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

–: चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्थाई नियुक्ति हेतु अर्थना/विज्ञप्ति :–

क्रमांकः– संस्था/चि.अ./ए.टी./वि.भ./प्र.4/2020/178 दिनांक :– 29/05/2020

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम–1963 समय–समय पर संशोधित के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन चिकित्सा संस्थानों में नव सृजित (Vacany Based) 2000 रिक्त पदों को चिकित्सा अधिकारियों से स्थाई रूप से भरने हेतु अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत दो वर्ष के प्रोबेशन काल (एक वर्ष की इन्टर्नशिप को परिवीक्षा अवधि का हिस्सा माना जावेगा) पर उपयुक्त अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भरे जाने वाले पदों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :–

चिकित्सा अधिकारी के पदों की कुल रिक्तियां – 2000

क्र. सं.	वर्ग	पदों की संख्या	सामान्य	महिला		
				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता
1	अनारक्षित वर्ग	720	505	144	57	14
2	आर्थिक कमजोर वर्ग	200	140	40	16	04
3	पिछड़ा वर्ग	420	295	84	35	08
4	अनुसूचित जाति	320	225	64	25	06
5	अनुसूचित जनजाति	240	169	48	19	04
6	एम.बी.सी.	100	70	20	08	02
7	विशेष योग्यजन	80				

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 29.03.19 व 29.08.2019 के अनुसार महिला, विशेष योग्यजन को आरक्षण देय होगा।

नोटः– नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर उपरोक्त रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकेगी।

विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) व्यक्तियों के लियेः–

(अ) उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यार्थियों को 4% पद आरक्षित होगें इनका निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता हैः–
O.L.- One leg affected (R or L)
(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic
O.A.- One arm affected (R or L)
(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

(ब) निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज/दण्डवत् (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यार्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/सामान्य वर्ग/ई. डब्ल्यू.एस./एम.बी.सी.) का होगा। उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

(स) आवेदन–पत्र के यथा स्थान पर वर्ग विशेष 'निःशक्त व्यक्ति' (विशेष योग्यजन) का उल्लेख करे तथा इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो, की सत्यापित फोटो प्रति भी अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी को इसका लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।

महिलाओं के लिए आरक्षित पदों में से 8% पद विधवा महिलाओं के लिये तथा 2% पद परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। विधवा/परित्यक्ता महिला उपलब्ध नहीं होने पर पहले Enterchange से फिर इन्हें उसी श्रेणी की सामान्य महिलाओं से भरा जावेगा।

राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नही होने की दशा में किन्ही भी परिस्थितयों में इस प्रकार की आरक्षित रिक्ति को सीधी भर्ती

कृ0पृ0उ0

द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यार्थियों से नही भरा जावेगा। पिछडी जाति के योग्य एवं पात्र अभ्यार्थियों के उपलब्ध नही होने पर उक्त पदों को सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा।

अनिवार्य योग्यता : एम0बी0बी0एस0। कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ03(7)डीओपी/ए-।।/97 दिनांक 17/09/99 के प्रावधान के अनुसार आयोजित परीक्षा तिथि तक **राजस्थान मेडिकल कौंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।**
नोट :- प्रोबेशन पूर्ण होने के पश्चात् ही PG हेतु Apply कर सकेगें।

योग्यताएं/अनुभव : "देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की
अधिमान्य (हिन्दी) में : संस्कृति का ज्ञान"

पद का वेतनमान : 15600–39100 (पे लेवल 14) में एक वर्ष तक परिवीक्षा काल में वर्तमान में देय रूपये 39,300/– प्रतिमाह में चिकित्सा परिचर्या भत्ते के रूप में रूपये 17,400/– प्रतिमाह जोडकर रूपये 56,700/– प्रतिमाह दिया जायेगा।

(क) आयु सीमा– न्यूनतम एवं अधिकतमः– 22 वर्ष न्यूनतम एवं 47 वर्ष अधिकतम।

(ख) अधिकतम आयु सीमा में छूटः–

(1) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 10 के अंतर्गतः–

(i) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प07(2)कार्मिक/क–2/93 पार्ट दिनांक 25/05/2000 के अनुसरण में अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडी जाति के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं समय–समय पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना के आधार पर आयु सीमा में छूट देय होगी।

(ii) कार्मिक विभाग के अधिसूचना कमांक प07(2)कार्मिक/क–2/84 भाग 18 दिनांक 30/04/2001 के अनुसरण में राजस्थान के अ0जा0./अ0ज0जा0/पिछडी जाति की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट एवं समय–समय पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना के आधार पर आयु सीमा में छूट देय होगी।

(iii) Ex- Service Man अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।

(iv) विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा नही है।

(v) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/09/08 के अनुसरण में विभाग द्वारा पूर्व में वर्ष 2019 को आर0यू0एच0एस0 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, इसलिये अधिसूचना दिनांक 23/09/08 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नही होगी।

पद/पदों से संबंधित कार्य (हिन्दी) में:– चिकित्सा संबंधित कार्य

मुख्यालय : राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 22'ए' में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार प्रथम नियुक्ति उपरांत तीन वर्ष की ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता में शिथिलता दी जाकर संशोधित नियम 22'ए' के तहत सुपर स्पेशियलाईज्ड चिकित्सक (डीएम/एमसीएच)/पीजी डिग्री/डिप्लोमाधारी चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त भी पदस्थापित किया जा सकेगा।

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी होने के अधिकतम एक माह में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ07(1)डी.ओ.पी./ए–।।/1995(10/03) दिनांक 08/04/03 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01/06/2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 30/06/06 के अनुसार विवाहित होने की स्थिति में आवेदक को विवाह पंजीयन की सूचना दिया जाना अनिवार्य है।

अभ्यार्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र तथा संबंधित पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करना होगा। जिन पुरूष/महिला अभ्यार्थी के एक से अधिक पत्नि/पति है वे इस नियुक्ति के पात्र नही होगे। जिन अभ्यार्थियों ने अपने विवाह के समय दहेज लिया/दिया है वे इन नियुक्तियों के पात्र नही होंगे।

(डॉ0 के0के0 शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।